राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मदन बनाम रतन

तारीख हुक्म

580/2024 583/2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19/12/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

23/12/2025 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/04/2012 पारित करते हुए तहसीलदार आमेर को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम शेरावतपुरा, पटवार हल्का मुण्डोता, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2064 से 2067 के आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि का मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में वादीगण व प्रतिवादीगणों के मध्य कृषि भूमि का विभाजन मीट्स एण्ड बाउन्ड्स वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज एवं धारित भूमि का विधिवत रूप से हिस्से अनुसार विधिवत कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20/07/2023 पारित कर दी गयी | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पृथक-पृथक अपीले प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की दोनों अपीलों पर इकजाई रूप से मौखिक बहस सुनी गयी एवं इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है | निर्णय की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावलीयो पर सलग्न की जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो का अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व दीरी में कोई त्रुटी जाहिर नही होती है एवं अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिसम्मत जाहिर होती है, जिसकी अनुपालना में तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अध्ययन उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन विधिसम्मत प्रतीत होता है | विधि अनुसार एवं खातेदार के काश्तकारी अधिकारों के मध्यनजर सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है | अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मदन बनाम रतन

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख आदेश जो इस हुक्म की तामील में कार्यवाही हुई

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13/04/2012 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 20/07/2023 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमश:-583/2024 एवं 580/2024 ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर